बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4/निदे0आ0वि0(विविध)–01–09/2017–

प्रेषक,

दिवेश सेहरा(भा0प्र0से0),
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषय–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में संचालित आवासीय विद्यालयों के आवासियों के स्वास्थ्य जाँच हेतु स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजन करने के संबंध में।

प्रसंग–विभागीय पत्रांक–4681 दिनांक–15.07.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल बनाने के उद्देश्य से राज्य में 87 आवासीय विद्यालय संचालित है, जिन्हें आवासीय विद्यालय में आवासन के क्रम में दैनिक आवश्यकताओं के साथ–साथ चिकित्सीय सुविधाओं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रसांगिक पत्र के द्वारा निर्गत अनुदेश की कंडिका–(6) में चिकित्सीय जाँच हेतु निम्नांकित अनुदेश दिए गए हैः–

"आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से सप्ताह में एक बार करायी जाय। जिस क्षेत्र में विभागीय आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र हो तो उसके आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी भी नियमित रूप से छात्र/छात्राओं की स्वास्थ्य जाँच करेंगें।"

2. इसी क्रम में विभागीय पत्रांक–1631 दिनांक–27.08.2020 के द्वारा गुणात्मक सुधार हेतु निर्गत दिशा–निदेशों की परिशिष्ट–III (2) दवा (i) के अनुसार निम्नांकित व्यवस्था की गई हैः–

"संबंधित जिला के जिला असैनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल के चिकित्सकों का रोस्टर निर्धारित कर विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। चिकित्सक के परामर्श के आलोक में संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा दवा की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित एजेंसी/दर के आलोक में किया जाएगा।"

3. विभाग स्तर पर लगातार समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि संचालित आवासीय विद्यालयों के आवासीत विद्यार्थियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच हेतु स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित नहीं हो पा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की सूची संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सभी जिला के जिला असैनिक शल्य चिकित्सक को स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल के चिकित्सक को प्रत्येक सप्ताह रोस्टर निर्धारित कर स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित करने का निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक में अल्पावधि के लिए विभागीय पदाधिकारी को भाग लेने पर सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/—
(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक—4/निदे0आ0वि0(विविध)—01—09/2017—4483 पटना, दिनांक—24.11.2022

प्रतिलिपि—सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त/सभी जिला असैनिक शल्य चिकित्सक/सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रभारी प्राचार्य/सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned with OKEN Scanner